कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, प्रथम–तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–3/89/2018/10–11/ 4083 भोपाल,दिनांक 31.12.2018

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– धार जिले के अन्तर्गत कुण्डिया नाला लघु तालाब परियोजना के निर्माण हेतु 17.178 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र क्रमांक/F-No. 6-MPC0074/2018-BHO/706 दिनांक 28.12.2018

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था से आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

1. जल संसाधन विभाग के अधिकारी आज दिनांक 31.12.2018 को इस कार्यालय में उपस्थित हुये थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि 17.178 हेक्टेयर के बीच में ही 03 किसानों को राजस्व विभाग द्वारा 1.639 हेक्टेयर के पट्टे दिये हुए हैं। इस कारण उनके द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव में राजस्व भूमि 1.639 हेक्टेयर प्रभावित होना बताया है।

   वास्तव में प्रस्ताव में बांध निर्माण के लिये 17.178 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है। यह सम्पूर्ण भूमि धार वनमण्डल के सरदारपुर परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 391 में आती है। अतः प्रकरण में राजस्व भूमि की आवश्यकता नहीं होगी।
2. जल संसाधन विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये नाहरपुरा ग्राम में भूमि उपलब्ध कराई गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व बरखेड़ा जलाशय के लिये (प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIGATION/20799/2016) में 32.49 हेक्टेयर तथा बालकुण्डा जलाशय के लिये (प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIGATION/25703/2017) में 4.5 हेक्टेयर के लिये क्षतिपूर्ति वनीकरण की भूमि इसी प्रस्ताव में प्रस्तावित भूमि से संलग्न स्वीकृत की गई है। अतः क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये प्रस्तावित भूमि मान्य किये जाने का अनुरोध है।
3. आवेदक द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा की अनापत्ति तथा बैठक का कार्यवाही विवरण आदिम जाति विभाग के पास उपलब्ध है। यह विवरण प्रकरण में द्वितीय चरण की अनुमति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जावेगा।
4. तीन विकल्प को दर्शाने वाला मानचित्र तथा तुलनात्मक पत्रक की प्रति आवेदक ने उपलब्ध कराई जो संलग्न प्रस्तुत है।

   प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

31/12/18

(सुनील अग्रवाल)